गाँव स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समिति

स्वस्थ गाँव की ओर

SEHGAL FOUNDATION

ग्रामीण स्वास्थ्य,
स्वच्छता एवं पोषण समिति

1) किसी भी गाँव को स्वस्थ गाँव कब कहा जा सकता है?

- गाँव में सुरक्षित पानी की सुविधा हो
- सड़कें साफ सुथरी व गंध रहित हो
- घरेलू कचरे को फेंकने के लिए निश्चित स्थान व नियमित रूप से कूड़ा उठाये जाने की सुविधा हो

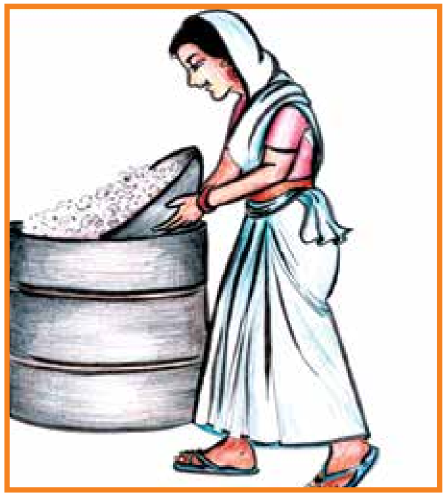

- गंदे पानी का सही रूप से निकास हो
- गाँव के लोग बीमारियों से मुक्त हों
- गाँव में नियमित रूप से चलने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र हों
- गाँव के सभी बच्चों व गर्भवती महिलाओं का नियमित रूप से टीकाकरण हो

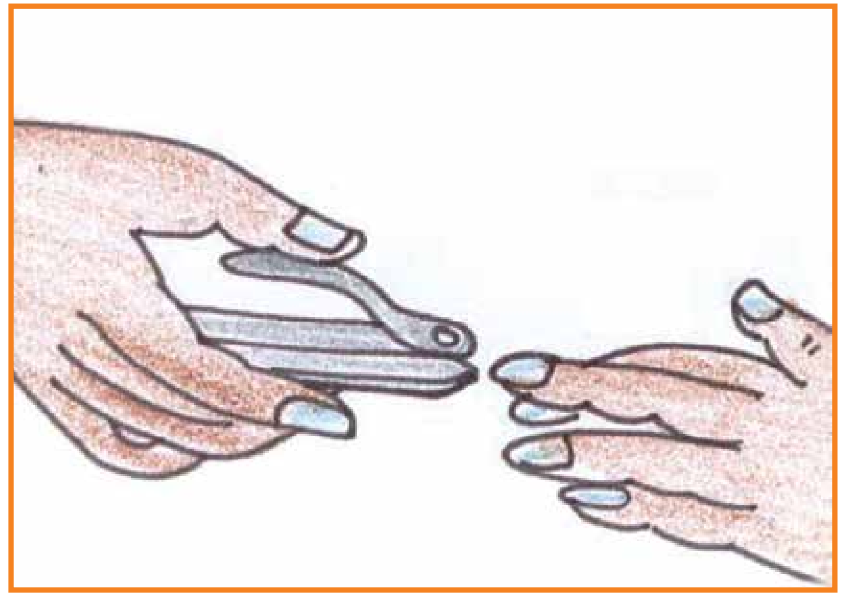

2) गाँव को स्वस्थ रखने की ज़िम्मेदारी किसकी है ?

- गाँव को स्वस्थ रखने की ज़िम्मेदारी गांववासियों की होती है
- इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, हर गाँव में एक समिति बनाई गयी है
- यह समिति ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करती है
- इस समिति को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति कहा जाता है

3) ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति क्या है?

- यह गाँव के ऐसे लोगों का समूह है जो अपने गाँव के लोगों के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं व उनके बेहतर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं

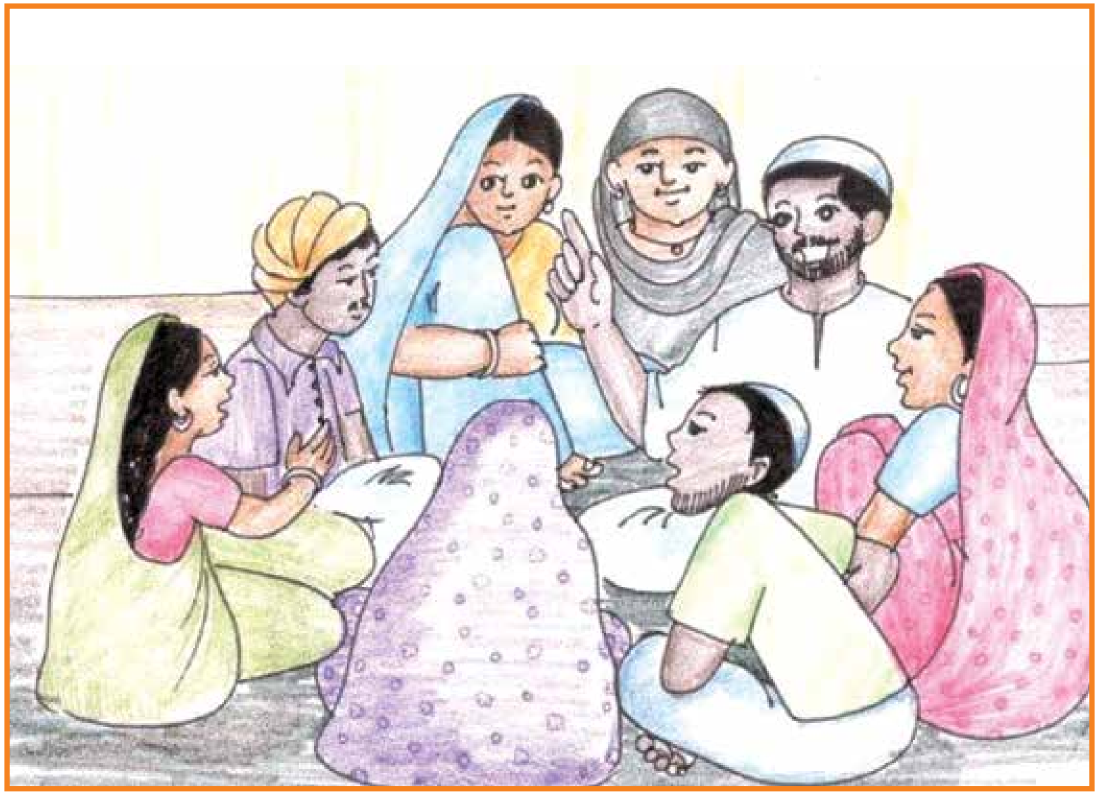

4) समिति के मुख्य उद्देश्य

- गाँव के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम व योजनओं के बारे में सूचित करना
- स्वास्थ्य से जुड़ी सार्वजनिक सेवाओं पर कार्यवाही करना
- गाँव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गांववासियों के साथ मिलकर योजना बनाना

समिति के सदस्य

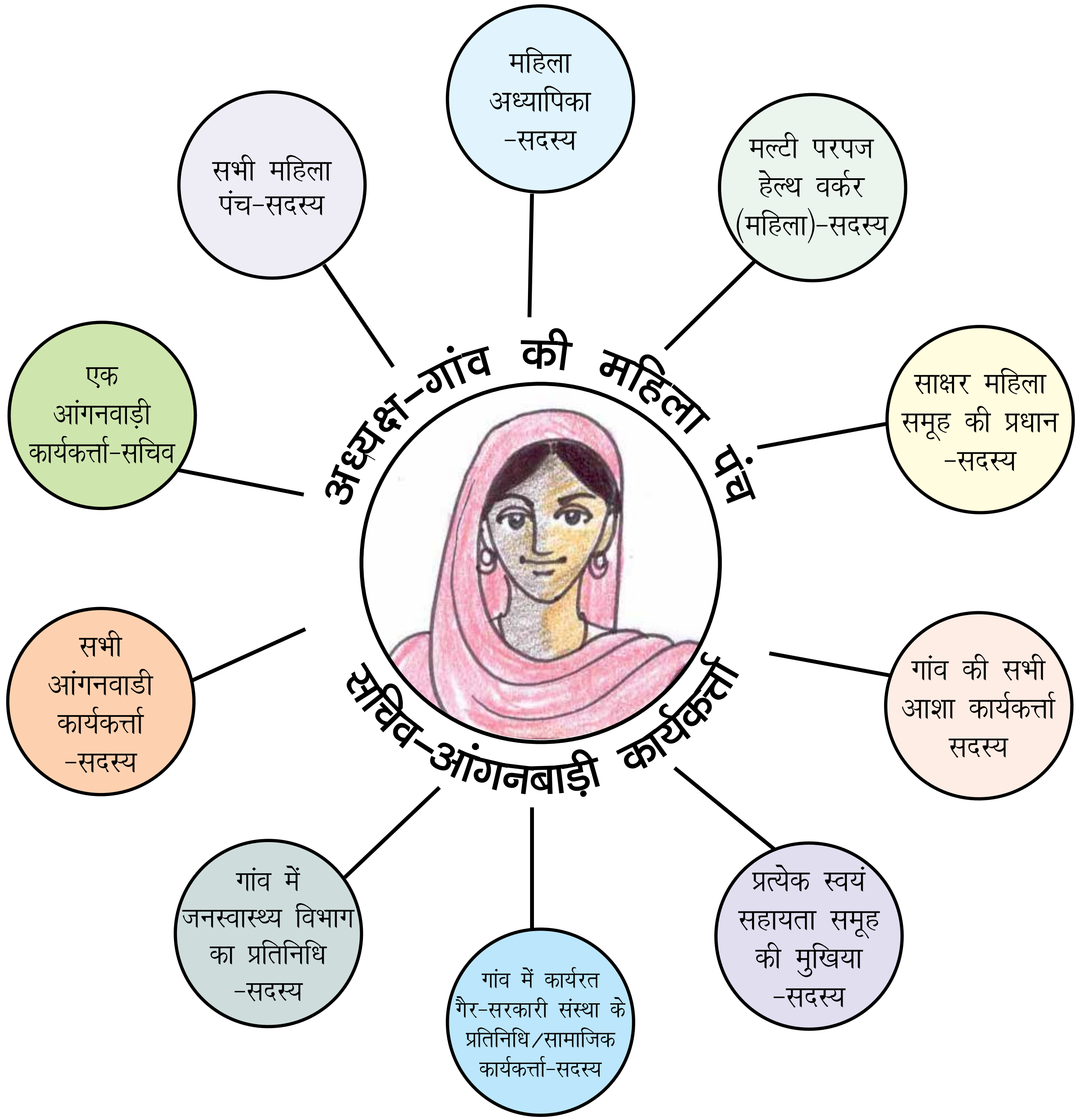
अध्यक्ष-गांव की महिला पंच
सचिव-आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
महिला अध्यापिका -सदस्य
मल्टी परपज हेल्थ वर्कर (महिला)-सदस्य
साक्षर महिला समूह की प्रधान -सदस्य
गांव की सभी आशा कार्यकर्त्ता सदस्य
प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की मुखिया -सदस्य
गांव में कार्यरत गैर-सरकारी संस्था के प्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्त्ता-सदस्य
गांव में जनस्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य
सभी आंगनवाडी कार्यकर्त्ता -सदस्य
एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता-सचिव
सभी महिला पंच-सदस्य

5) समिति की संरचना

सदस्यों की संख्या: अधिकाँश राज्यों में, समिति में 15 से 20 सदस्य होते हैं (कम से कम 15) समिति की संयोजक (कन्वीनर), सचिव व अध्यक्ष : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार 'आशा' समिति की संयोजक और सचिव होगी व गाँव की महिला पंच अध्यक्ष होगी।

समिति का गठन:

सदस्य	संख्या
सभी महिला पंच सदस्य/निर्वाचित पंचायत सदस्य	समिति के कुल सदस्यों का ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई
आशा	गाँव की सभी आशा
स्कूल शिक्षक/महिला अध्यापिका	जो उसी गाँव के निवासी हों
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	गाँव की सभी कार्यकर्ता
ए.एन.एम	गाँव की सभी ए.एन.एम
स्वयंसेवक/अन्य सरकारी विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (हैंडपपं मिस्त्री, मनरेगा समन्वयक)	समिति के कुल सदस्यों का ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई
गाँव के स्वयं सहायता सूमह के प्रतिनिधि	
सेवा उपयोगकर्ता (गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माँ, तीन साल तक के बच्चो की माँ, गंभीर बिमारी से ग्रसित रोगी)	

कुछ राज्यों में सरकारी नियमों के अनुसार सदस्यों की संख्या अलग हो सकती है, जैसे राजस्थान की स्वास्थ्य समिति में 7 सदस्य होते हैं

- समिति में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए
- समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के होने चाहिएं

6) समिति की गतिविधियां/ज़िम्मेदारियाँ

मुख्य गतिविधियाँ	
मासिक बैठक	**कार्य** • हर महीने कम से कम एक बैठक होनी चाहिए • बैठक बुलाना संयोजक (आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) की ज़िम्मेदारी है • बैठक का आयोजन किसी सार्वजनिक स्थान पर जैसे पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल में होना चाहिए • बैठक में समिति के सभी सदस्य व गाँव के अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते है

अलग–अलग राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के निर्देशनुसार, संयोजक अलग हो सकती है, जैसे हरियाणा में 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ता' समिति की संयोजक होती है।

रिकार्ड का रख–रखाव

- उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षार का रिकार्ड होना चाहिए
- मासिक बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड होना चाहिए
- फंड में से पैसा निकालने व खर्च करने का रिकार्ड रखा जाना चाहिए जिसमें बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर हों
- समिति की कैशबुक का लेखा–जोखा व बैंक पास बुक की निगरानी आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जानी चाहिए
- जन्म–रजिस्टर, मृत्यु–रजिस्टर व ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर में आंकडे दर्ज होने चाहिए व उनका रख–रखाव होना चाहिए

वार्षिक फंड और उपयोगिता

- समिति को प्रति वर्ष 10,000 रूपये का फंड दिया जाता है
- समिति को यह फंड जिले के सिविल सर्जन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है
- फंड का इस्तेमाल करने के लिए स्वास्थ्य योजना बनाई जाती है
- फंड का उपयोग पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य व पर्यावरण के कामों में किया जा सकता है
- आवश्यकता होने पर, समिति गाँव के समुदाय को धन या श्रम योगदान देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है

यदि फंड का उपयोंग लम्बें समय से नही किया गया है, तो कुछ राज्यों में यह राशि कम कर दी गयी हैं

फंड का प्रबधंन

- समिति के गठन के बाद पास के बैंक में समिति का खाता खोला जाता है जिसमें फंड आता है
- खाते के हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष व सचिव होते हैं
- जिस काम के लिए फंड खर्च किया जाना है, उसका विवरण मीटिंग में पढ़ कर सुनाया जाएगा व कार्यवाही लिखी जाएगी
- समिति के फंड का इस्तेमाल समिति की अनुमति के बाद ही किया जाएगा
- जब ग्राम पंचायत योजना और बजट पर चर्चा करती है, तब समिति को अपने काम और खर्चे का हिसाब ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना होता है

आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी

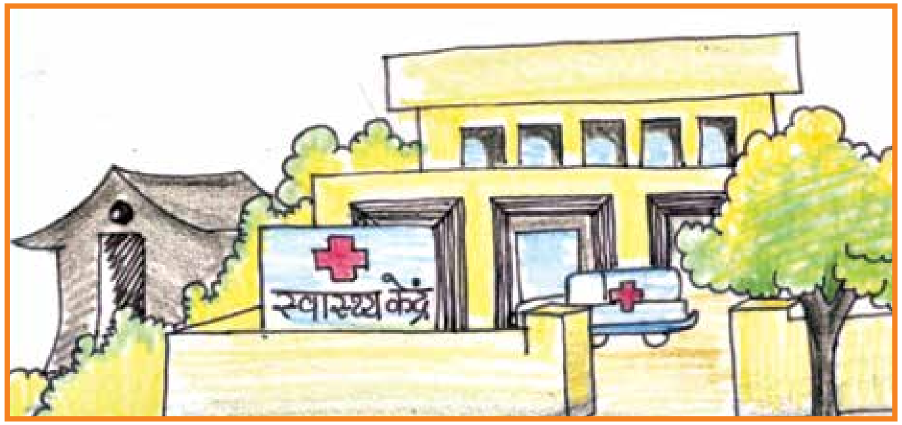

स्वास्थ्य सुविधाओं पर स्थानीय कार्यवाही का आयोजन

- ग्राम स्वास्थ्य–रजिस्टर का इस्तेमाल कर समिति गांव के पिछड़े व सरकारी सेवाओं से वंचित समूह को पहचान सकती है
- गाँव को स्वस्थ रखने के लिए साफ़ सफ़ाई का आयोजन, नयी योजनाओं की जानकारी और उनको सेवाओं का लाभ दिलवाना भी समिति की ज़िम्मेदारी है
- समिति, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्कोर कार्ड भरती है और निगरानी के लिए प्राथमिक स्वास्थ केंद्र व उप केंद्र का भ्रमण भी करती है।
- गांव के लोगो को कार्यवाही के लिए एक साथ लाना

गाँव में सेवाओं को सुगम बनाना

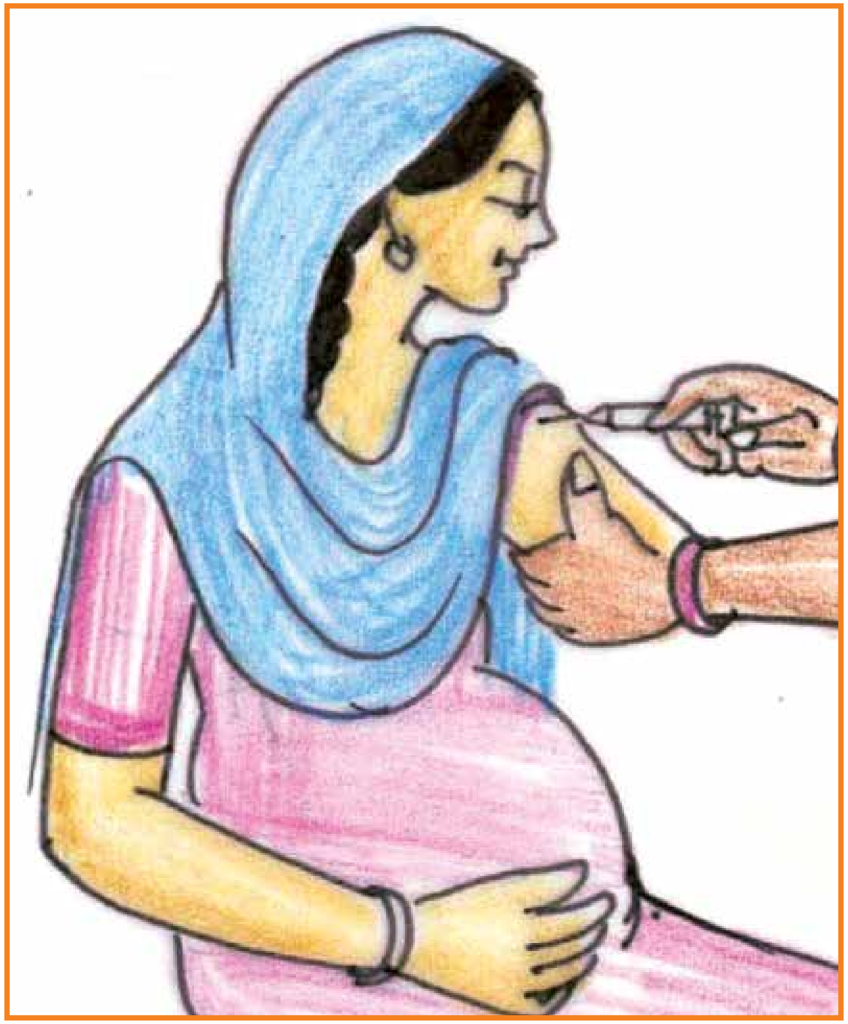

- आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी) का ओयाजन करना
- गर्भवती महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से वंचित परिवारों के लिए टीकाकरण सत्र का आयोजन करना
- ज़रूरत पड़ने पर मरीज़ को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस से संपर्क करना

ग्राम स्वास्थ्य योजना

- कार्यों की समय सीमा तय करना
- समिति की हर एक मासिक बैठक में ग्राम स्वास्थ्य योजना कार्य किये जाने चाहिये

जैसे:

- ➢ निगरानी रजिस्टर व अन्य तरीकों से कमी पहचान करना
- ➢ उन बस्तियों/टोलों की पहचान करना जहां ज्यादा परेशानी है
- ➢ गाँव की स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़रूरतों के अनुसार समस्या को दूर करने के लिए कार्यवाही का निर्णय लेना

7. सचिव के मुख्य काम क्या हैं ?

- मासिक बैठक का समय और स्थान निश्चित करना
- बैठक में सभी सदस्यो की भागीदारी निश्चित करना
- गांव के स्वास्थ्य की परिस्थिति पर समिति का ध्यान आकर्षित करना और उचित योजना बनाना
- बैठक का संचालन करना व बैठक की कार्यवाही लिखना
- महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय करके वर्ष में एक बार समिति के हिसाब किताब का ऑडिट करवाना
- समिति का पैसा बैंक से निकलवाना

फॉर्म जी.एफ. आर. 19 - A

उपयोग प्रमाण पत्र

क्रम. सं.	विभाग पत्र संख्या और तारीख	राशि (रूपयों में)
1.		
2.		
3.		
4.		

1. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गए राज्य सरकार के पत्र संख्या के मार्फत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण कमेटी ....के लिए सहायक अनुदान के रूप मे वर्ष...................के लिए स्वीकृत रूपयें..................तथा पिछले वर्ष की शेष राशि रूपयों...................में से रूपया .... निमित उद्देश्य के लिए खर्च कर लिया गया है, तथा रूपयों ....कमेटी के पास रोकड़ बाकी है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे विशवास है कि जिन शर्तों पर सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया था उनका पालन किया गया है और पालन किया जा रहा है। जिन उद्देश्यों के लिए राशि स्वीकृत की गयी थी उनका उसी अनुरूप पालन किया गया है या नही, यह जांचने के लिए यह तरीका अपनाया था।

संलगनः

1. **उपयोग प्रमाण पत्र**
2.

तारीख सहित हस्ताक्षर

पद....................

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गाँव स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समिति

इस सूचना पुस्तिका से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क करें

SEHGAL FOUNDATION

हम मिलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाते हैं

एस एम सहगल फाउंडेशन

प्लॉट नंबर 34, सेक्टर 44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुड़गाँव – 122003, हरियाणा

फोन नंबरः 0124–4744100, ई–मेलः smsf@smsfoundation.org

वेबसाइटः www.smsfoundation.org